

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 4747/अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अभय कुमार संचेती, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.भीलवाड़ा से सचिव.नगर विकास न्यास (एक्स काडर).भीलवाड़ा में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अभय कुमार संचेती द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री अभय कुमार संचेती को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अभय कुमार संचेती को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अभय कुमार संचेती नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री अभय कुमार संचेती को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 4747/अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.भीलवाड़ा।

2 सचिव.नगर विकास न्यास (एक्स काडर).भीलवाड़ा।

3 श्री अभय कुमार संचेती, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.भीलवाड़ा।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2874 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से अतिरिक्त आयुक्त. आबकारी विभाग. जयपुर. (स्थानान्तरणाधीन) से निदेशक. सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता. विभाग. जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

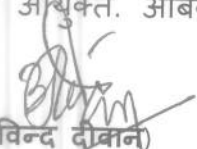
श्री महेन्द्र सिंह को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री महेन्द्र सिंह नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री महेन्द्र सिंह को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2874 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
- 2 निदेशक. सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता. विभाग. जयपुर।
- 3 श्री महेन्द्र सिंह , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त. आबकारी विभाग. जयपुर।


(अरविन्द दाबि)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9498 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री संजय शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं . उमरेन. अलवर से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक). उमरेन . अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संजय शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री संजय शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री संजय शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री संजय शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री संजय शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9498 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं . उमरेन. अलवर।
- 2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक). उमरेन . अलवर।
- 3 श्री संजय शर्मा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं . उमरेन. अलवर ।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 1150 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री भागचन्द जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण विकास अधिकारी बयाना. भरतपुर से बाल विकास परियोजना अधिकारी. समेकित बाल विकास सेवाएं . बयाना. भरतपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भागचन्द जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री भागचन्द जैन को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री भागचन्द जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री भागचन्द जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री भागचन्द जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 1150 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

प्रतिलिपि:-

- 1 विकास अधिकारी बयाना. भरतपुर।
- 2 बाल विकास परियोजना अधिकारी. समेकित बाल विकास सेवाएं . बयाना. भरतपुर।
- 3 श्री भागचन्द जैन , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी बयाना. भरतपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5977/अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मोहन सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.वैर से बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं .वैर. भरतपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहन सिंह द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मोहन सिंह को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मोहन सिंह को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मोहन सिंह नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मोहन सिंह को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5977/अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

1 उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.वैर।

2 बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं .वैर. भरतपुर।

3 श्री मोहन सिंह , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.वैर ।


(अरविन्द दीबान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5800 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री यशपाल सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.कामां से विकास अधिकारी. पंचायत समिति.कामां. भरतपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री यशपाल सिंह द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री यशपाल सिंह को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री यशपाल सिंह को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री यशपाल सिंह नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री यशपाल सिंह को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5800 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

1 उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.कामां।

2 विकास अधिकारी. पंचायत समिति.कामां. भरतपुर।

3 श्री यशपाल सिंह , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग.कामां ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कामिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9417/अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रौपिल जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.कुम्हेर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.भरतपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रौपिल जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रौपिल जैन को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रौपिल जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रौपिल जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रौपिल जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9417/अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

1 उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.कुम्हेर।

2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.भरतपुर।

3 श्री रौपिल जैन

, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.कुम्हेर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 4593 /अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री भंवर लाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).कोलायत. बीकानेर से कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.बीकानेर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भंवर लाल शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री भंवर लाल शर्मा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री भंवर लाल शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018** **मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री भंवर लाल शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री भंवर लाल शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 4593 /अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).कोलायत. बीकानेर।
- 2 कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.बीकानेर।
- 3 श्री भंवर लाल शर्मा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).कोलायत. बीकानेर ।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 6099 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्रीमति निशा भारद्वाज, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर से निदेशक.स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमति निशा भारद्वाज द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्रीमति निशा भारद्वाज को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्रीमति निशा भारद्वाज को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्रीमति निशा भारद्वाज नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्रीमति निशा भारद्वाज को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 6099 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
- 2 निदेशक.स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
- 3 श्रीमति निशा भारद्वाज, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।

(अरविन्द दीवाण)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5209 /अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम. एक्स कैडर.जयपुर से निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 5209 /अलेसे-11 2592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

1 राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम. एक्स कैडर.जयपुर 1000364।

2 निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर।

3 श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम. एक्स कैडर.जयपुर ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9669 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री जयप्रकाश व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.जैसलमेर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश .विधि विभाग.जैसलमेर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जयप्रकाश व्यास द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री जयप्रकाश व्यास को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री जयप्रकाश व्यास को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री जयप्रकाश व्यास नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री जयप्रकाश व्यास को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 9669 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.जैसलमेर।
- 2 जिला एवं सेशन न्यायाधीश .विधि विभाग.जैसलमेर।
- 3 श्री जयप्रकाश व्यास , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ).पंचायती राज विभाग.जैसलमेर ।


(अरविन्द दीखन)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2880 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मुकेश माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग.जोधपुर से कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जोधपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुकेश माथुर द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मुकेश माथुर को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मुकेश माथुर को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मुकेश माथुर नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

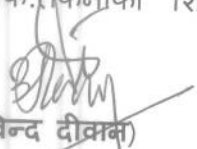
इसके अतिरिक्त श्री मुकेश माथुर को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2880 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

- 1 निदेशक.तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग.जोधपुर।
- 2 कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जोधपुर।
- 3 श्री मुकेश माथुर , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग.जोधपुर ।


(अरविन्द दीक्षित)

अतिरिक्त निदेशक (कामिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2139 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रमेश चन्द्र सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग. ओसियां से बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं. लूणी. जोधपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमेश चन्द्र सुथार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रमेश चन्द्र सुथार को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रमेश चन्द्र सुथार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 27.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रमेश चन्द्र सुथार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रमेश चन्द्र सुथार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/L.N. 2139 /अलेसे-112592-2617 दिनांक:- 27.2.18
प्रतिलिपि:-

1 उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग. ओसियां।

2 बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं. लूणी. जोधपुर।

3 श्री रमेश चन्द्र सुथार , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग. ओसियां ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)